

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

23 / 2022
14.03.2022

सत्यनारायण पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासी सौन्दीफल तहसील पीपलू जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला—टोंक

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
तहसीलदार पीपलू दिनांक 01.12.2021 मिसल नम्बर 631 / 2021

उपस्थिति : (1) श्री ओमप्रकाश खंगार, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 30.11.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपलू ने अपने निर्णय दिनांक 01.12.2021 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1024 में से रकबा 0.40 है० किस्म चरागाह वाके ग्राम सौन्दीफल तहसील पीपलू में राजकीय भूमि पर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 158/रू. पेनल्टी कायम कर 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार पीपलू के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्ट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नही मंगवाई और ना ही मौका का निरीक्षण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई सक्षम साक्ष्य प्रदर्शित नही करवायी गई है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट किस दिनांक को तैयार की गई का अंकन भी पटवारी रिपोर्ट में नही है। पटवारी हल्का ने उक्त रिपोर्ट स्वतंत्र गवाह के द्वारा तैयार नही की है। अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ ही विवादित भूमि से अपना हटा



जिला कलेक्टर
टोंक

लेने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।


अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्त को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1024 में से रकबा 0.40 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम सौन्दीफल तहसील पीपलू में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर सरसो की फसल काशत कर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार पीपलू द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्त की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्त न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट से सिद्ध है। अपीलान्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्त की खंय की तामील हुई है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्त द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1024 में से रकबा 0.40 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम सौन्दीफल तहसील पीपलू पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर सरसो की फसल काशत कर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्ध है। अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 491/2021 निर्णय दिनांक 30.03.2021 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्त द्वारा अपील मीमो के साथ ही शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त वर्णित भूमि से मेरा कोई संबंध नहीं है। वर्णित भूमि पर मेरा कोई कच्चा/ पक्का निर्माण भी नहीं है और ना ही अतिक्रमण है, मैंने स्वेच्छा से उक्त भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया है, मैं भविष्य में उक्त वर्णित भूमि पर अतिक्रमण नहीं करूंगा, परन्तु पटवारी हल्का सौन्दीफल की धारा 91 कि रिपोर्ट पर अपीलांत पश्चातवर्ती अतिक्रमी है का उल्लेख है और अपीलांत द्वारा कब्जा छोड़ने बाबत नवीन शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है, जिससे जाहिर होता है कि अतिक्रमी बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलान्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपलू का निर्णय दिनांक 01.12.2021 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




जिला कलेक्टर
जिला कलेक्टर, टोक